



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122024-259193
CG-DL-E-05122024-259193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/अग्रहायण 14, 1946

No. 689]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/AGRAHAYANA 14, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 751(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसंबर, 2024, जिसे सा.का.नि. 749(अ) दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित गया था, में, पृष्ठ संख्या 2 पर, पंक्ति 8 और 9 में, -

'उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से'

के स्थान पर

'पर उक्त विषयगत माल के अवतरण मूल्य और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उसके शुल्क राशि के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि ऐसा अवतरण मूल्य कॉलम (7) में दर्शायी गई शुल्क राशि से कम हो'

पढ़ें।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/182/2024-टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 5th December, 2024

G.S.R. 751(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2024-CUSTOMS (ADD), dated the 4th December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 749(E), dated the 4th December, 2024, on Page 4, in line 28,

for

“rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7)”

read

“rate equal to the difference between the landed value of subject goods and the amount specified as Duty amount in the corresponding entry in column (7), provided the landed value is less than the value indicated in column (7)”.

[F. No. CBIC-190354/182/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.